रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216087
CG-DL-E-12022020-216087

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2020/माघ 22, 1941
No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020/MAGHA 22, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 104(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) अधिसूचना सा.का.नि. 512(अ) तारीख 18 जुलाई 2019 द्वारा प्रारुप नियम प्रकाशित किए गए थे जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी थी, तीस दिन की अवधि के अवसान के पूर्व आक्षेप और सूझाव आमंत्रित किए गये थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 18 जुलाई 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सूझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 50 में उपनियम 1 में,-

(क) खंड (i) में "डीआईएन 1745/ डीआईएन 1783 या आईएसओ 7591" शब्दों और आकड़ों के स्थान पर समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएसः 159: 2019 (ऐसे समय तक बीआईएस विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अथवा आईएसओः 7591 के अधीन अधिसूचित किया गया है)" निम्नलिखित शब्द आकड़े और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) "सात" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) खंड (iv) में,

(i) "अनुज्ञप्ति प्लेट विनिर्माता का रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी/अनुमोदित डीलर" शब्दों के स्थान पर " रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी/वाहन विनिर्माता और उसके डीलर" निम्नलिखित शब्द रखे जाएगे ;

(ii) " विनिर्मित अनुज्ञप्ति प्लेट या उसके डीलर" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी / वाहन के विनिर्माता और उसके डीलर" निम्नलिखित शब्द रखे जाएगे ;

(घ) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थातः-

"(v) प्लेट को वाहन के रीयर पर अस्थानानतरणीय/गैर –पुनःप्रयोग करने वाले स्नेप लॉक फिटिंग प्रणाली के साथ बंधन किया जाएगा ;

नये वाहन के लिए सभी उपर्युक्त विनिर्देश और विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के साथ अनुज्ञप्ति प्लेट को रजिसट्रीकरण प्राधिकारी अथवा वाहन विनिर्माताओं और उनके डीलरों द्वारा जारी किया जाएगा और विद्यमान पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन को लिए रजिसट्रीकरण प्राधिकारी अथवा वाहन विनिर्माताओं और उनके डीलरों अथवा अनुमोदित अनुज्ञप्ति प्लेट विनिर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा जारी किया जाएगा । नियम 26 के अधीन केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी प्राधिकृत अभिकरण को इस नियम के उपबंधों के अनुसार सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण का अनुमोदन किया जाएगा ।"

(ङ) खंड (VI) में,-

(i) "मध्यम वाणिज्यिक वाहनों, भारी वाणिज्यिक वाहनों और ट्रेलर/संयोजनः 340×200 मिलीमीटर" शब्दों आंकड़ों और अक्षरों के स्थान पर "मध्यम वाणिज्यिक वाहनों, भारी वाणिज्यिक वाहनों और ट्रेलर/संयोजनः 340×200 मिलीमीटर/ 500×120 मिलीमीटर" निम्नलिखित शब्द आंकड़े और शब्द रखे जाएगे ;

(ii) पांचवे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात,-

"परन्तु यह और कि निर्माण उपकरण वाहन के मामले में उपकरण आकार और स्थान की उपलब्धा के आधार पर प्लेट का आकार 500×120 मिलीमटर या 340×200 मिलीमीटर या 200×100 मिलीमीटर या 285×45 मिलीमीटर होगा ।"

3. उक्त नियम में , नियम 50 में उप-नियम (2) में खंड (घ) में उप-नियम (अ) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

"(अ आ) किराए पर कैब स्कीम, 1989 के अधीन मोटर कैब या किराए पर मोटर साईकिल स्कीम 1997 के अधीन मोटर साईकिल (एल-1 और एल-2 प्रवर्ग दो पहिया), काले रंग की पृष्ठ भूमि पर पीला रंग, तथापि किराए पर कैब स्कीम 1989 के अधीन बैटरी प्रचालित या इलेक्ट्रॉनिकी पावर की मोटर अथवा किराए पर मोटर साईकिल स्कीम 1997 के अधीन मोटर साईकिल के मामले में, हरे पृष्ठभूमि पर काले रंग में ; और"।

4. उक्त नियम में, नियम 50 में, उप-नियम (3) में पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थातः-

"परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत चिन्ह सामने एक पंक्ति में हो सकता है, 200 मिमी×100 मिमी साइज की प्लेट के मामले में यह दर्शाने का कोई पर्याप्त स्थान नहीं कि रजिस्ट्रीकृत चिन्ह एक पंक्ति में हो, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दो पंक्तियों में प्रदर्शित किया जा सकता है । "।

5. उक्त नियम में निमय 51 में,-

(क) आरंभिक पैरा के पश्चात, निम्नलिखित शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"सारणी" ;

(ख) नीचे शीर्ष सारणी को इस प्रकार अन्तःस्थापित किया जाएगा, जिसके सामने क्रम संख्या से संबंधित पंक्ति से सामने, "से अन्यून आयाम " प्रविष्टी के स्थान पर "से अन्यून आयाम (मिमी में)" निम्नलिखित प्रविष्टी रखी जाएगी ;

(ग) सारणी में, क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः-

"12	निर्माण उपकरण वाहन	सामने और पीछे के अक्षर और अंक (क) प्लेट आकार 500×120 मिमी. या 340×200 मिमी.	65	10	10
		(ख) प्लेट आकार 200×100 मिमी.	35	7	5
		(ग) प्लेट आकार 285×45 मिमी.	30	5	5"

[फा. सं. आरटी-11028/01/2018 एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाराधारण भाग-II खंड 3 उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा संशोधित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37 (अ) तारीख 17 फरवरी, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2020

G.S.R. 104(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 512 (E), dated the 18th day of July, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected

thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 18th July, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement**. -(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2019.

   (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules); in rule 50, in sub-rule 1,-

   (a) in clause (i), for the words and figurers "DIN 1745/DIN 1783 or ISO 7591" the following words, figures and brackets "AIS:159:2019 as amended from time to time (till such time BIS specification is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016) or ISO:7591" shall be substituted;

   (b) in clause (iii) for the word "seven" the word "ten" shall be substituted;

   (c) in clause (iv),-

   (i) for the words "registering authorities/approved dealers of the licence plates manufacturers", the following words "registering authority/vehicle manufacturer and their dealers" shall be substituted;

   (ii) for the words "licence plate manufactured or his dealers" the following words "registering authority/vehicles manufacturer and their dealers: shall be substituted;

   (d) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: -

   "(v) the plate shall be fastened with non-removable / non- reusable snap lock fitting system on rear of the vehicle;

   The license plates with all the above specifications and the specified registrations for a new vehicle shall be issued by the registering authority or vehicle manufacturers and their dealers and for existing old registered vehicle shall be issued by registering authority or vehicle manufacturers and their dealers or by the approved licence plate manufacturers or their dealers. The Central Road Research Institute, New Delhi or any agency authorised under rule 126 shall approve the security registration as per the provisions of this rule"

   (e) in clause (vi),-

   (i) for the words and figures and letters "For medium commercial vehicles, heavy commercial vehicles and Trailer/combination: 340 x 200 mm" the following words, figure and letters "For medium commercial vehicles, heavy commercial vehicles and Trailer/combination: 340x200 mm/500 x 120 mm" shall be substituted;

   (ii) after the fifth proviso the following proviso shall be inserted namely, -

   "Provided also that in case of Construction Equipment Vehicles, the size of plate shall be 500x120 mm or 340x200 mm or 200x100mm or 285x45mm, depending on the equipment size and availability of space.".

3. In the said rules, in rule 50, in sub-rule (2), in clause (d), after the sub-clause (A), following sub- clause shall be inserted, namely. -

"(AB) in case of motor cab under rent a cab scheme, 1989 or motor cycle (L1 and L2 category two wheeler) under rent a motor cycle scheme 1997, in yellow colour on black background, however in case of battery operated or electrically powered motor cab under rent a cab scheme 1989 or motor cycle under rent a motor cycle scheme 1997, in black colour on green background; and".

4. In the said rules, in rule 50, in sub-rule (3) for first proviso, the following proviso shall be substituted, namely. -

"Provided that the registration mark in the front may be in one line, in case, in 200mm x 100mm size plate, there is no sufficient place to exhibit the registration mark in one line, the registration mark may be exhibited in two lines:".

5. In the said rules, in rule 51, -

(a) after the opening paragraph, the following heading shall be inserted, namely: -

"Table";

(b) below the heading Table as so inserted, against the row relating to Serial number (S.No.), for the entry "Dimensions not less than" the following entry shall be substituted "Dimensions (in mm) not less than ;

(c) in the Table, after S.No.11 and entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

"12	Construction Equipment Vehicles	Front and rear letters and numerals.- a) With plate size 500x120 mm or 340x200 mm	65	10	10
		b) With plate size 200x100 mm	35	7	5
		c) With plate size 285x45 mm	30	5	5"

[F. No. RT-11028/01/2018-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),*vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 37 (E) dated 17th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.12 14:55:46 +05'30'